

Don 23/6

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग,

कार्यालय:-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गया वन प्रमण्डल, गया।

सेवानगर, न्यू करीमगंज, गया(फैक्स/फोन नं०.0631-2220406,मो०-7541820902.ई-मेल : gayadfo@gmail.com

पत्रांक- 3523.../अमानत

प्रेषक

डा०नेसामणि के०, भा०व०से०
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गया वन प्रमण्डल, गया

सेवा में,

✓ वन संरक्षक,
गया अंचल, गया।



दि० 23/6/15

विषय:-

ए०एच० 83 पटना-गया-डोभी पथ के लिए फलाई ओवर एवं वाहन अन्डरपास निर्माण हेतु वन(संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत 1.47 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग:-

मुख्य वन संरक्षक-सह-नोडल पदाधिकारी, बिहार पटना का पत्रांक-FC.253 दिनांक 14.05.2015

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि-

- I. प्रस्तावित स्थल रक्षित वन(पी०एफ०) है, छाया प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न।
 - II. वृक्षों की गणना सूची संलग्न।
 - III. संलग्न नक्शा का भौतिक सत्यापन कर हस्ताक्षर कर दिया गया है।
 - IV. पथ के उन्नयन में प्रस्तावित वन भूमि का रकबा 1.47 हेक्टर है।
 - V. स्थल निरीक्षण टिप्पणी संलग्न।
 - VI. क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन 7-10 वर्षों तक सम्पोषण के साथ संलग्न।
 - VII. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का डी०जी०पी०एस० रिडिंग संलग्न। - Annex - II in Part II
 - VIII. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का FRA 2006 का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को लिखा गया है।
 - IX. पथ निर्माण क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान/वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्र से 42 एवं 85 कि०मी० की दूरी पर है।
- अतः प्राप्त प्रस्ताव का छः प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
गया वन प्रमण्डल, गया।

23/6/15